



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1936 (श०)
(सं० पटना ६६६) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2014

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

1 अगस्त 2014

सं० वि०स०वि०-13/2014-2413/वि०स०।—“बिहार वित्त विधेयक, 2014”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 01 अगस्त, 2014 को पुरस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव, बिहार विधान-सभा।

बिहार वित्त विधेयक, 2014

[विंसठविं-12/2014]

प्रस्तावना— बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।— (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-5 में संशोधन ।-उक्त अधिनियम 1994 की धारा-5 की उप-धारा (7) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा :-

“परन्तु यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, या मैक्सी कैब महिला के नाम पर व्यवसायिक वाहन के रूप में निर्बंधित है एवं उनकी स्वयं की व्यवसायिक अनुज्ञाप्ति नहीं होने के कारण टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पाया है, और पूरे कर का भुगतान कर दिया है, वैसी स्थिति में, उक्त महिला को समुचित वैध व्यवसायिक ड्राईविंग अनुज्ञाप्ति प्राप्त कर लेने के बाद इस आशय की अनुज्ञाप्ति एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 भाग-‘ख’ के अधीन विनिर्दिष्ट दर से पथकर की वापसी का हक होगा ।”

3. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 में संशोधन ।-उक्त अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (8) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-

“(8) ट्रैक्टर के वैट रहित क्रय मूल्य का 4.5% (साढ़े चार प्रतिशत) एक मुश्त आजीवन पथकर देय होगा ।

परन्तु यह कि ट्रैक्टर के ट्रेलर के निर्बंधन के समय ट्रेलर से कोई पथकर वसूलनीय नहीं होगा।

4. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में संशोधन ।- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची 1 भाग (ग) का क्रम संख्या-3-क (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी :-

“(ii) टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर वैट रहित क्रयमूल्य का 7% की दर से 15 वर्षों के लिए एक मुश्त कर उद्गृहीत किया जायगा ।

परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एक मुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गई कर की राशि को अनुसूची-1 के अनुसार घटाकर की जायगी ।

5. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 के भाग (ग) के क्रम संख्या-4 में संशोधन।- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 का अनुसूची-1 भाग (ग) क्रम संख्या-4 का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा :-

1	मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा पैसेन्जर परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छाड़कर)-	कर की दर वार्षिक (साधारण बस)	कर की दर वार्षिक (सेमी डीलक्स)	कर की दर वार्षिक (डीलक्स)	कर की दर वार्षिक (वाल्यो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस)
(क)	13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता।	रु0 500 प्रति सीट	रु0 625 प्रति सीट	रु0 735 प्रति सीट	-
(ख)	27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता।	रु0 550 प्रति सीट	रु0 700 प्रति सीट	रु0 810 प्रति सीट	-
(ग)	33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता।	रु0 650 प्रति सीट	रु0 820 प्रति सीट	रु0 975 प्रति सीट	-

(घ)	वाल्वो, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस	-	-	-	रु0 1250
-----	--------------------------------------	---	---	---	----------

1. कर के लिए किसी बस में एक स्तीपर सीट की गणना दो बैठान सीट के रूप में की जायगी।

2. (क) सभी परिवहन वाहनों के मोटर वाहन कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित यात्रियों के लिए बैठान संख्या पर निम्नलिखित तालिका में स्तम्भ 2, 3, 4 में इंगित के अनुसार की जाएगी :-

व्हील बेस	साधारण बस	सेमी डीलक्स बस	डीलक्स बस
1	2	3	4
228	61	49	41
216	55	44	37
210	54	43	36
206	53	42	35
205	53	42	35
203	53	42	35
204	53	42	35
190	48	38	32
180	40	32	27
179	38	30	25
176	37	30	25
167	33	26	22
166	33	26	22
165	33	26	22
163	32	26	21
143	28	22	19
142	25	20	17

(ख) कंपनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनों की दशा में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अनुसार, प्राथिकृत एजेन्सी द्वारा अनुमोदित सीटों के आधार पर, कर की गणना की जाएगी ।

वित्तीय संलेख

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि की आवश्यकता को द्रुष्टिपथ में रखते हुए कतिपय उपाय चिन्हित किए गये हैं जिनसे राजस्व में अभिवृद्धि लायी जा सके। इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन का प्रस्ताव है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार-साधक सदस्य ।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के संसाधनों में अभिवृद्धि आवश्यक है। उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु राजस्व अभिवृद्धि के लिए उपाय चिन्हित किये गये हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जहाँ कर दरों के युक्तिकरण से राजस्व संग्रहण में उछाल आने की संभावना है। राजस्व अभिवृद्धि हेतु चिन्हित इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। यहीं इस विधेयक का उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)

भार-साधक सदस्य।

पटना

प्रभारी सचिव,

दिनांक 01 अगस्त, 2014

बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 666-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>